# मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा शहडोल एवं उमरिया जिले के अंतर्गत प्रस्तावित कुल 619.000 हे. भूमि में से शहड़ोल जिले के दक्षिण वनमंडल शहडोल के अंतर्गत 15.549 हे. राजस्व वनभूमि तथा उमरिया वनमंडल के अन्तर्गत 46.488 हे. वनभूमि (आरक्षित वनभूमि 34.240 हे. एवं संरक्षित वनभूमि 12.248 हे.) एवं राजस्व वनभूमि 18.553 हे. के अंतर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन् हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के साथ मेरे द्वारा दिनांक 06.01.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के निर्धारित बिन्दु संबंधी प्रतिवेदन उनके सामने दर्शायी गयी है :–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>निरीक्षण के बिन्दु</th><th>मुख्य वन संरक्षक का निरीक्षण विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सीमा हेक्टेयर</td><td>
<table>
<tr><th>क्र</th><th>जिला</th><th>वनमंडल</th><th>आरक्षित वन (हे.में)</th><th>संरक्षित वन (हे.में)</th><th>राजस्व वन (हे.में)</th><th>योग</th></tr>
<tr><td>1</td><td>शहडोल</td><td>दक्षिण शहडोल</td><td>--</td><td>--</td><td>15.549</td><td>15.549</td></tr>
<tr><td>2</td><td>उमरिया</td><td>उमरिया</td><td>34.240</td><td>12.248</td><td>18.553</td><td>65.041</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>वनभूमि के स्थान (अक्षांश, देशांस) डयवर्जन के लिये प्रस्ताव रखा।</td><td>आरक्षित वन आर.एफ. 227<br>1. 23°14'27.507"N 81°17'28.224"E<br>2. 23°14'27.279"N 81°17'41.101"E<br>3. 23°14'26.495"N 81°17'52.891"E<br>4. 23°14'19.648"N 81°18'01.273"E<br>संरक्षित वन पी.एफ. 27<br>1. 23°15'32.842"N 81°18'25.748"E<br>2. 23°15'17.023"N 81°18'25.017"E<br>3. 23°15'20.010"N 81°18'17.490"E<br>4. 23°15'32.860"N 81°18'17.180"E<br>राजस्व वन – KML. फाईल पृथक से प्रस्ताव के साथ संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वनभूमि (संरक्षित वन/आरक्षित वन/ राजस्व वनभूमि या किसी भी अन्य वनभूमि) की कानूनी स्थिति ।</td><td>1. आरक्षित वन – 34.240 हे.<br>2. संरक्षित वन – 12.248 हे.<br>3. राजस्व वन – 34.102 हे.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अस्थायी मापन आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन।</td><td>आवेदक संस्थान एवं विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित वनभूमि का सीमांकन कर संयुक्त स्थल सत्यापन किया गया है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अतिक्रमण का कोई भी लक्षण</td><td>प्रस्तावित परियोजना भूमिगत कोयला उत्खनन् हेतु प्रस्तावित है। उमरिया वनमंडल के प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई अतिक्रमण के संकेत नहीं है । दक्षिण वनमंडल शहडोल के अंतर्गत प्रस्तावित राजस्व वनभूमि पर कोई स्थाई संरचना का निर्माण नहीं किया गया है। यदा–कदा ग्रामीणों द्वारा मौसमी खेती किये जाने के संकेत है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्त्ता एजेंसी द्वारा वनभूमि या उससे सटे गैर वनभूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्त्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा–निर्देशों का उल्लघंन के मामले में उपयोगकर्त्ता एजेंसी के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण।</td><td>उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघंन नहीं पाया गया है।</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 7. | वनस्पति की स्थिति। साईट की गुणवत्ता/ प्रजाति संरचना आदि। | प्रस्तावित वनक्षेत्र की साईड गुणवत्ता–।।। है तथा वनक्षेत्र में सागौन, साल एवं मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े है। |
| 8. | वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्यजीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियॉ और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्राय वन्य जीवो की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना। | प्रस्तावित वनक्षेत्र में तेन्दुआ, भालू, चीतल, साभर, सुअर, लोमड़ी, सियार, बंदर, सरीसृप, पक्षी आदि वन्यप्राणियों का विचरण क्षेत्र है। |
| 9. | वनस्पति/पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्द्वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता। | कोई अद्द्वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद नहीं है। |
| 10. | वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे है तो कार्य आयोजना के नुस्खे आदि नहीं, क्यों ? | वनमंडल की प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार प्रस्तावित वनक्षेत्र बिगड़े वनो के सुधार कार्यवृत्त में शामिल है। प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार उपचार नियमों के अनुसार समय–समय पर कार्य किये गये है। |
| 11. | ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण के इस क्षेत्र का महत्व। | आवेदित क्षेत्र ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं है। |
| 12. | इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता। | प्रस्तावित भूमि पर स्थानीय व्यक्तियों/परिवारों की जलाऊ व लघुवनोपज हेतु निर्भरता है। |
| 13. | व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव। | आवेदित क्षेत्र में किसी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होगा। |
| 14. | वहॉ किसी भी पुनर्वास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये है ?वहॉ विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है। | आवेदित क्षेत्र में व्यक्तियों का असहमति संबंधी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। |
| 15. | प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर वनभूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का स्था। अगर बिगडी वनभूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना अनुसार विवरण गैर वनभूमि है तो नजदीक वनक्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिए। | उपरोक्त परियोजना भूमिगत कोल माइन्स है। आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला सागर के वनमंडल दक्षिण सागर में गैर वनभूमि का चयन कराया जाकर क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार की गयी है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त सागर द्वारा जारी की गयी है, प्रस्ताव संलग्न है। |
| 16. | प्रस्ताति क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए। | प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बॉ.टा.रि. के बफर क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. परिधि के बाहर स्थित है। |
| 17. | इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गयी है। | प्रस्तावित क्षेत्र पर ग्रामीण आदिवासियों की जलाऊ व लघुवनोपज के लिये निर्भरता है। प्रस्तावित क्षेत्र में आदिवासियों के दिये अधिकार के मान्यता के संबंध में FRA प्रमाण–पत्र कलेक्टर जिला–उमरिया एवं शहडोल के समक्ष विचाराधीन है। |
| 18. | परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता। | परियोजना स्वीकृत होने पर पास के ईलाके में रहने वाले लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा, जिससे इनके जीवन यापन, रहन–सहन एवं शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी। |
| 19. | नवीनीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गयी समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं। | आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम बार वनभूमि की मांग की है। फिलहाल शर्तपालन कराने/करने की स्थिति निर्मित नहीं होती है। |
| 20. | गैर–साईट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्त्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प। | आवेदक संस्थान द्वारा अन्य वैकल्पिक विकल्प न होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| 21. | वनभूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है, उपयोगता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाण–पत्र। | आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना में वनभूमि कम से कम प्रभावित हो, विकल्प तलाशें गये तद्पोरांत ही न्यूनतम वनभूमि की मांग की गयी है। संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया। |
| 22. | वनभूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाइश। | परियोजना स्वीकृत उपरांत प्रस्तावित वनभूमि के वृक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। |
| 23. | महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे। | निरंक |
| 24. | परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ मुख्य वन संरक्षक की विशिष्ट सिफारिशें। | मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स द्वारा शहडोल जिले के दक्षिण वनमंडल शहडोल के परिक्षेत्र शहडोल के अन्तर्गत ग्राम खम्हरियाकला एवं कठौतिया के अंतर्गत 15.549 हे. राजस्व वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन् हेतु प्रस्तावित की गयी है। वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल शहडोल ने प्रस्तावित राजस्व वनभूमि 15.549 हे. ऊर्जा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये व्यपवर्तन की अनुशंसा की है।<br>मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स द्वारा इसी परियोजना में शामिल उमरिया जिले के वनमंडल उमरिया के अंतर्गत 46.488 हे. वनभूमि (आरक्षित वनभूमि 34.240 हे. एवं संरक्षित वनभूमि 12.248 हे. तथा 18.553 हे.) राजस्व वनभूमि कुल 65.041 हे. वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन् हेतु प्रस्तावित की गयी है। वनमंडलाधिकारी उमरिया द्वारा प्रस्तावित परियोजना से खनिज कोयला की अपूर्ति स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार की उपलब्धता होगी तथा परियोजना राष्ट्रीय विकास हित में है। वनमंडलाधिकारी वनमंडल उमरिया ने वन एवं वन्य जीवों के सरंक्षण संबंधी शर्तो के आधीन अनुशंसा की है।<br>इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वनभूमि व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। |

(एस.एस.उइके)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)